

**न्यायालय :- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बड़वानी (म.प्र.)**  
**( पीठासीन : समीर कुलश्रेष्ठ )**

**व्यवहार वाद क्रमांक 7 ए/2016**

1.	C.I.S. Reg. R.C.S.A. No.	100009/2015
2.	DATE OF INSTITUTION	17.11.2015
3.	C.N.R. No.	MP4601

- (1) धन्नालाल पिता श्री नारायण प्रजापत(गोले),  
आयु- 43 वर्ष, व्यवसाय- व्यवसाय एवं कृषक,
- (2) सोहनलाल पिता श्री नारायण प्रजापत(गोले),  
आयु- 40 वर्ष, व्यवसाय एवं कृषक,  
दोनों निवासी- अमित नगर कॉलोनी,  
साईं मंदिर के पास, बड़वानी (म.प्र.)। — — — **वादीगण**

**विरुद्ध**

- (1) जिलाधीश महोदय,  
जिलाधीश कार्यालय, बड़वानी (म.प्र.)।
- (2) तहसीलदार महोदय,  
बड़वानी, जिला- बड़वानी (म.प्र.)।
- (3) जिला परिवहन अधिकारी,  
जिला परिवहन कार्यालय, बड़वानी,  
जिला- बड़वानी (म.प्र.)। — — — **प्रतिवादीगण**

वादीगण द्वारा अभिभाषक	:- श्री संजय शर्मा।
प्रतिवादीगण द्वारा अति. शास. अभिभाषक	:- श्री राजेश गोठवाल।

**( आदेश )**

**{ आज दिनांक 20.03.2017 को घोषित }**

(1) इस आदेश के द्वारा आवेदकगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश-39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा-151 व्य.प्र.सं. का निराकरण किया जा रहा है।

(2) आवेदन पत्र संक्षेप में यह है, कि वादीगण ने ग्राम करी, तहसील बड़वानी की सर्वे क्र-33/3, 33/5, एवं 33/6 रकवा 0.462 हैक्टेयर भूमि दिनांक 18.08.2011 को पंजीकृत विक्रय विलेख से श्रीमती भावना चौहान से खरीदी है, जिस पर वादीगण का आधिपत्य है, उक्त भूमि पर वादीगण ने व्यपवर्तन आदेश द्वारा उस पर वेयर हाउस का निर्माण वर्ष 2013-14 में कराया है, इसी दौरान प्रतिवादी क्रमांक 2 के द्वारा दिनांक 17.10.2013 को अनापत्ति प्रमाण पत्र के माध्यम से वादीगण को वेयर हाउस तक पहुँच मार्ग हेतु 40 फीट सड़क खसरा क्रमांक-33/2 में से प्रदान की गई। प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा अवैध रूप से वादीगण के वेयर हाउस के समक्ष कार्यालय

भवन के निर्माण हेतु स्वीकृत भूमि खसरा क्रमांक-33/10 के रूप में प्राप्त कर, वादीगण का पहुँच मार्ग बंद करना चाहते हैं, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी वादीगण के पक्ष में प्रकरण प्रथम दृष्ट्या पाया गया था, प्रतिवादीगण क्रमांक 1 व 2, प्रतिवादी क्रमांक 3 को प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाने के आशय से वादीगण का वेयर हाउस का 11,732.67 वर्ग फीट का निर्माण अवैधानिक रूप से तोड़ दिया है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.12.2014 को अंतरिम आदेश पारित कर, वेयर हाउस अवैधानिक रूप से तोड़े गये निर्माण को पुनः तोड़े जाने से रोक लगाई गई थी तथा दिनांक 15.12.14 को प्रतिवादीगण को सीमांकन हेतु आदेशित किया था।

(3) आवेदन पत्र में यह अभिवचन है, कि प्रतिवादीगण द्वारा कराए गए सीमांकन से असंतुष्ट होकर, वादीगण ने पुनः मान. उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें विवादित निर्माण को दिनांक 12.03.2015 को स्थगित किया गया था तथा रिट अपील क्रमांक 503/15 में भी आदेश दिनांक 03.11.2015 में वादीगण के अधिकार का हनन मानते हुए, विवादित स्थान पर किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगाई थी, जो उक्त आदेश वर्तमान में भी विद्यमान है। वर्तमान में प्रतिवादी क्रमांक 3 के द्वारा अवैधानिक रूप से वादीगण के वेयर हाउस से आधिपत्य के भूमि पर अतिक्रमण कर, वहां चूने की लाईन डाल दी गई, जिससे वादीगण के वैधानिक निर्माण में बाधा उत्पन्न हो रही है। प्रतिवादी क्रमांक 3 सतत रूप से निर्माण कार्य भी प्रारंभ किए हुए है, उक्त निर्माण कार्य करने से वादीगण का वेयर हाउस एक द्वीप में तब्दील हो जाएगा, जिसके कारण उनका व्यवसाय बंद हो जाएगा, प्रतिवादी क्रमांक 3 शासकीय भूमि खसरा नंबर 33/2 में से वादीगण को प्राप्त 40 फीट रास्ते को भी अवरुद्ध कर रहा है, उक्त समस्त आधारों पर आवेदकगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रकरण के अंतिम निराकरण तक दायिया भूमि पर अवैध रूप से बेदखल करने एवं वादीगण को प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा प्रदत्त 40 फीट पहुँच मार्ग पर निर्माण कार्य नहीं करने, से रोकने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया है।

(4) अनावेदकगण ने अपने-अपने जवाब में आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों को असत्य एवं निराधार बताते हुए, व्यक्त किया है, कि अनावेदक क्रमांक 3 को आवंटित भूमि खसरा नंबर 33/10 में ही उसके द्वारा अपना निर्माण कार्य किया जा रहा है। आवेदकगण/वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है, बल्कि स्वयं आवेदकगण ही शासकीय भूमि में अतिक्रमण करना चाहते हैं। मान. उच्च न्यायालय द्वारा आवेदकगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत रिट याचिकाओं में दिए गए आदेश अंतरिम रूप से प्रदत्त किए गए थे, पूर्व में भी उक्त आधारों पर आवेदकगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन पत्र निरस्त किया जा चुका है। प्रतिवादीगण की ओर से तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा तैयार ग्राम करी के नक्शे में कोई रास्ता उल्लेखित नहीं किया गया है, स्वयं वादीगण द्वारा डेश-डेश लाइन से रास्ता उल्लेखित कर लिया गया है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में कोई रास्ता नहीं है। नक्शे से छेड़छाड़ की गई है, मौके पर आवेदकगण/वादीगण का कोई 40 फीट का रास्ता नहीं है, बैलगाड़ी वाले रास्ते से वादीगण आना-जाना करते हैं। प्रकरण प्रथम दृष्ट्या आवेदकगण/वादीगण के पक्ष में नहीं है, उनकी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है, फलतः सुविधा का संतुलन एवं अपरिमित क्षति के बिंदु भी आवेदकगण/वादीगण के पक्ष में नहीं होना बताते हुए, अनावेदकगण क्रमांक 2 व 3 ने आवेदन पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा सव्यय निरस्त करने का निवेदन किया है।

- (5) आवेदन पत्र के निराकरण हेतु मुख्य बिंदु प्रकरण प्रथम दृष्ट्या, सुविधा का संतुलन एवं अपरिमित क्षति पर विवेचन व निष्कर्ष अपेक्षित हैं।
- (6) उभयपक्ष के द्वारा अपने पक्ष समर्थन में परस्पर विरोधी शपथ पत्र प्रस्तुत किए हैं, ऐसी दशा में उभयपक्ष के अभिवचनों के साथ-साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के संदर्भ में ही विचार किया जाना अपेक्षित है।
- (7) आवेदकगण/वादीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा पक्ष समर्थन में न्यायदृष्टांत **नगर पालिका परिषद् मलाजखण्ड विरुद्ध हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड 2009(1) एम.पी.एच.टी.48** एवं अन्य न्यायदृष्टांत **रामेगोड़ा विरुद्ध एम वरदप्पा नायडू ए.आई.आर.2004 एस.सी.4609** प्रस्तुत किए हैं। उपरोक्त **नगर पालिका परिषद् वाले** मामले में यह प्रतिपादित है, कि प्रथम दृष्ट्या मामला स्थापित करने में वादी को स्पष्ट विधिक स्वत्व स्थापित नहीं करना होता है, उसे केवल यह स्थापित करना होता है, कि उसके पक्ष में उसके विधिक अधिकार के सम्बन्ध में एक फेयर प्रश्न है, जिसका विचारण होना है, उक्त **रामेगोड़ा** वाले मामले में यह महत्वपूर्ण प्रतिपादन है, कि जो व्यक्ति किसी संपत्ति के स्थापित आधिपत्य में होता है, उसका आधिपत्य संरक्षित किया जाना चाहिए।
- (8) ज्ञातव्य है, कि मान. उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्र. 8701/2014 के अनुसरण में आवेदकगण/वादीगण की भूमि सर्वे क्रमांक 33/3, 33/5 एवं 33/6 रकवा 1.14 एकड़ (0.462 हैक्टेयर) भूमि का सीमांकन किया गया है, जिसमें तत्कालीन राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 16.01.2015 को दिए गए सीमांकन प्रतिवेदन से प्रकट हुआ है, कि नक्शा तरमीम के अनुसार मौके पर रकवा 0.474 हैक्टेयर है, जो वादीगण के रकवे से 0.012 हैक्टेयर अधिक है। यद्यपि आवेदकगण/वादीगण द्वारा स्वयं की अनुपस्थिति में उक्त सीमांकन किया जाना अभिकथित किया है, जबकि राजस्व अधिकारी द्वारा सीमांकन हेतु वादी एवं अन्य पक्षकारों को पूर्व सूचना दिया जाना बताया गया है। यह निर्विवादित है, कि खसरा नंबर 33/2 शासकीय भूमि होकर, उसमें से 0.809 हैक्टेयर भूमि जिला परिवहन अधिकारी, बड़वानी को आवंटित की गई है तथा उसका बटा सर्वे क्रमांक 33/10 अभिहित है। स्वयं वादी द्वारा ही प्रस्तुत दस्तावेजों में पृष्ठ 111 पर प्रस्तुत दस्तावेज, जो आवेदक/वादी धन्नालाल द्वारा तहसीलदार बड़वानी के कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 03.11.2014 का जवाब है, उसकी कण्डिका-5 में स्वयं वादी ने यह उल्लेख किया है, कि उसके मजदूरों ने त्रुटिवश गलत नाप ले लिया था और 2 कॉलम के गड्ढे खोद दिए थे, जो बंद कर दिए गए हैं। निश्चित रूप से दाविया स्थल एक खुली भूमि रहा है, स्वयं वादी की यह स्वीकारोक्ति रही है, कि भूमि की नपती कई बार होने के कारण भिन्न-भिन्न पटवारियों के द्वारा नपती होने के कारण नपती में अंतर आया है तथा उसकी सीमाएँ आगे-पीछे दर्शाई गई हैं। निश्चित रूप से जबकि प्रतिवादीगण/अनावेदकगण शपथ पत्र यह कथन कर रहे हैं, कि अनावेदक क्रमांक 3 स्वयं का आवंटित भूमि पर ही निर्माण कार्य कर रहा है, अनावेदकगण शासकीय संस्था से संबद्ध है। न्यायालय द्वारा सीमांकन वास्ते जारी कमीशन के प्रतिवेदन से भी अनावेदकगण द्वारा प्रथमत् आवेदक/वादी की भूमि में अतिक्रमण वास्ते कोई तथ्य उल्लेखित नहीं है, स्वयं वादी के ही अनुसार विभिन्न सीमांकनों में उसकी भूमि की सीमा आगे-पीछे की जाती रही है, वास्तविक स्थिति विचारण के दौरान आई साक्ष्य से निष्कर्षित हो सकेगी।

(9) द्वितीयतः जहाँ तक आवेदगण/वादीगण का यह अभिकथन, कि यदि उनको प्रदत्त 40 फीट के रास्ते पर अनावेदकगण द्वारा निर्माण कार्य कर लिया गया, तो वादी की भूमि की स्थिति एक टापू के समान हो जाएगी, तद्विषय में प्रथमतः तो स्वयं वादी के द्वारा ही प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रकट है, कि उसकी भूमि में मुख्य सड़क से पहुँच मार्ग हेतु शासकीय भूमि खसरा नंबर 33/2 से लगभग 12 फीट का रास्ता उपलब्ध है। जहाँ तक आवेदकगण का यह कहना, कि तहसीलदार बड़वानी द्वारा से 40 फीट का रास्ता प्रदत्त किया गया था, तद्विषय में संदर्भित पत्र दिनांक 17.10.2013 से मात्र यह प्रकट है, कि उक्त 12 फीट का रास्ता शासकीय भूमि में होने एवं रास्ते के पास शासकीय भूमि रिक्त होने से खातेदार द्वारा स्वयं की भूमि में पहुँच हेतु 40 फीट का रास्ता प्रयोग किया जाता है, तो उक्त कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं होगी, उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट उल्लेखित है, कि परंतु उक्त रास्ते पर स्वामित्व म.प्र. शासन का रहेगा। इस प्रकार प्रथमतः यह नहीं कहा जा सकता, कि उक्त 40 फीट के रास्ते पर आवेदकगण/वादीगण को किसी प्रकार का सुखाधिकारी वर्तमान में उपलब्ध है और फिर उक्त तथ्य को स्थापित करने वास्ते साक्ष्य भी अपेक्षित रहेगी।

(10) अतः उपरोक्त विश्लेषण पश्चात् आवेदकगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त दोनों न्यायदृष्टांत वर्तमान मामले में उसे सहायक नहीं होते हुए, मामला प्रथम दृष्ट्या आवेदकगण/वादीगण के पक्ष में होना प्रकट नहीं है, चूँकि स्वयं आवेदकगण/वादीगण के ही अनुसार अपनी भूमि पर पहुँच हेतु, उन्हें 12 फीट का रास्ता पूर्व से उपलब्ध रहा है, ऐसी दशा में सुविधा का संतुलन एवं अपरिमित क्षति के बिंदु भी आवेदकगण/वादीगण के पक्ष में नहीं पाए जाते हैं फलतः आवेदकगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत वर्तमान आवेदन पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत आदेश-39, नियम 1 व 2 सपठित धारा-151 व्य.प्र.सं. स्वीकार योग्य नहीं होने से, निरस्त किया जाता है।

(11) व्यय तालिका तैयार हो।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर  
उद्घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

(समीर कुलश्रेष्ठ)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बड़वानी

(समीर कुलश्रेष्ठ)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बड़वानी